मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 (फाल्गुन 13, 1942)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री -**

(क) द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा-37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-3,

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री,** जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(4) **डॉ.प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, वर्ष 2015-2016 एवं वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री -**

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2018-2019,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 678 मप्रविनिआ/2020, दिनांक 02 जून, 2020, तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री प्रेमसिंह पटेल, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री,** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(7) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री –**

(क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के अधीन निर्मित नियम 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

(ग) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -
(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, तथा
(iii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
(घ) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन,** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य,** जबलपुर के केण्ट क्षेत्र में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त की राशि न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **सर्वश्री संजय यादव, ओमकार सिंह मरकाम, लखन घनघोरिया, सदस्य,** जबलपुर एवं डिण्डोरी शहर के गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नदी का जल प्रदूषित होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य,** जबलपुर जिले के महगवां में हाईस्कूल भवन निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले के ग्राम भैंसनारी से शक्ति का पुरा तक डामरीकृत रोड बनाये जाने,

(3) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बड़ादेव बरगी चरगवां परियोजना लिफ्ट इरिगेशन की स्वीकृति किये जाने,

(4) **श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य,** शहडोल जिले के ग्राम छिल्पा अंतर्गत पतेरा टोला में अतिक्रमण हटाये जाने,

(5) **श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य,** ग्वालियर जिले के हिम्मतगढ़ फीडर एवं आरोन-पाटई माईको लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(6) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के ग्राम बोरदियाकलां से नलखेड़ा तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले के ग्रामघुनसुर से मुड़ेहरा के बीच कटनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री विक्रम सिंह, सदस्य,** सतना जिले के रामपुर बघेलान के ग्राम अहिरगांव में पशु चिकित्सालय की स्थापना (निर्माण) किये जाने,

(9) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल शहर के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा में स्थित अम्बेडकर नगर में सीवर लाईन बिछाये जाने,

(10) **श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम आम्बी से रोशिया तक रोड निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्राम उनारसीकलां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराये जाने,

(12) **श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** निवाड़ी जिले के ग्राम अस्तारी से बिरोरा खेत मार्ग निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य,** दमोह जिले के हटा नगर में नवीन रेस्ट हाउस बनाये जाने,

(14) **श्री मनोज चावला, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम नीमन में माध्यमिक स्कूल शुरू कराये जाने,

(15) **श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के ग्राम बड़गुवा में तालाब निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले के बहोरीबंद शास. महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं विज्ञान तथा कॉमर्स विषय की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

(17) **श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम जामौन्या, जौहार के शासकीय हाईस्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(18) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-60 में सिंधिया नगर में आंगनबाड़ी बनाये जाने,

(19) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत कोटेश्वरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(20) **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य,** भिण्ड जिले के लहार सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति कराये जाने,

(21) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम जामुन डाड में नवीन सिंचाई बांध स्वीकृत किये जाने,

(22) **श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य,** रीवा जिले के हरदुआ एवं वीडा के शास. हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(23) **श्री जालम सिंह पटैल, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के सांकल से कोडिया होते हुए दुभा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

- 3 -

(24) **श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य,** राजगढ़ जिले के नेशनल हाईवे से ग्राम पडोनिया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू, सदस्य,** नीमच जिले के आंतरी में लोडकिया-आमलीखेड़ा से भादवा माता तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा,** सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम निचली बैराई में नवीन तालाब निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री देवीलाल धाकड़, सदस्य,** मंदसौर जिले के ग्राम बघुनिया में नवीन शास. हाईस्कूल का भवन स्वीकृत कराये जाने,

(28) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम दमुआ घाटा माली नदी पर स्टोरेज टेंक निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम बाकीगोई से जामपाटी मार्ग पर रोड निर्माण कराये जाने,

(30) **कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा), सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम कोडा से इमलिया पहुँच मार्ग पर कॉजवे कम स्टापडेम का निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ तालाब का सौंदर्यीकरण कराये जाने,

(32) **श्री संजय शर्मा, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम रम्पुरा में शास. हाईस्कूल स्वीकृत किये जाने,

(33) **श्री राकेश गिरि, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने,

(34) **श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के भीकनगांव में इण्डोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(35) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले के कलारवांकी क्षेत्र में बंद पेंच नहर का निर्माण कार्य कराये जाने,

(36) **श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य,** सतना जिले के कोठी-चित्रकूट मार्ग से अहिरगांव की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य,** मंडला जिले के भुआ बंजारी टोला से पडरिया तक बायपास सड़क का निर्माण कराये जाने,

(38) **श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य,** सतना जिले के चित्रकूट अंतर्गत नकैला में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(39) **श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम कुंड में उच्च क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(40) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य,** मंदसौर जिले के ग्राम सेमलिया हीरा में सोमली नदी पर चेक डेम निर्माण कराये जाने,

(41) **श्री सुनील सराफ, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम कटकुना से हर्री तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(42) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य,** उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत पुरातत्व विभाग के किले में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने,

(43) **श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम आमलाबे से लसुड़ल्या तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(44) **श्री राकेश मावई, सदस्य,** मुरैना जिले के बड़वारी शासकीय प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(45) **श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्राम धनोरा में नेमन नदी पर स्टॉप डेम निर्माण कराये जाने,

(46) **श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम मुड़ेरी के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(47) **श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य,** सागर शहर के सूबेदार वार्ड भरका में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने,

(48) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य,** धार जिले के देशवाल्या से खंडवा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(49) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम बिलासपुर में पी.डी.एस. भवन निर्माण कराये जाने,

(50) **श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य,** गुना जिले के ग्राम महुआखेड़ा में नवीन विद्युत ग्रिड की स्थापना किये जाने,

(51) **श्री बापूसिंह तंवर, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम गोरधनपुरा में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(52) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य,** उज्जैन जिले के नागदा-खाचरोद में वॉल्टेज ड्राप की समस्याओं का निराकरण कराये जाने,

(53) **श्री जजपाल सिंह 'जज्जी', सदस्य,** अशोकनगर के जिला स्थित पुराना विश्राम गृह, पुरानी अदालत एवं आबकारी ऑफिस को नगर पालिका को हस्तांतरित किये जाने तथा

(54) **श्री राम दांगोरे, सदस्य,** खण्डवा जिले के बोरगांव बुजुर्ग से जामठी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 308) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पटल पर रखेंगे तथा तत्संबंधी वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

8. वर्ष 2020-2021 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66 तथा 68 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर सोलह हजार, सात सौ इकहत्तर करोड़, तिरेपन लाख, ग्यारह हजार, नौ सौ तिरेसठ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. वर्ष 2020-2021 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 3, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 38, 47, 48, 50, 53, 58, 64, 65 तथा 66 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर तेरह हजार, दो सौ आठ करोड़, छियालीस लाख, तीन हजार, छह सौ तैंतीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 17 सन् 2021) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2021

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**
****अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**